न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण, (सेशन न्यायाधीश) सीकर जिला सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	**:**	**रूपा गुप्ता (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
जमानत आवेदन संख्या	:	400/2026
सीएनआर नम्बर	:	RJSK010017462026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	40/2026
अन्तर्गत धारा	:	8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
पुलिस थाना	:	गोकुलपुरा

महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका पुत्र चिरंजीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 14 अगुणा मौहल्ला बिसाउ पुलिस थाना बिसाउ जिला झुन्झुनूं (राजस्थान)

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितः

1. श्री औमप्रकाश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री सांवरमल बिजारणियां विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 04.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत जमानत का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार का डोडा चूरा बरामद नहीं हुआ है। सह अभियुक्त नितेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह अभियुक्त से भिन्न नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा डोडा पोस्त नहीं दिलवाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

3. योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

4. उपरोक्त पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. केस डायरी के अनुसार दिनांक 24.03.2026 को विजयपाल यादव आर.पी.एस. (प्रोबेशनर) थानाधिकारी गोकुलपुरा सीकर पुलिस जाप्ता के साथ गश्त करता हुआ मलकेडा से देवगढ की तरफ जाने वाली सडक पर नयाबास के पास पहुँचा तो वहाँ एक शख्स अपने दाहिना हाथ के कंधे पर बड़ा बैग लटकाकर पैदल–पैदल देवगढ़ की तरफ गुजरता हुआ नजर आया। उक्त शख्स ने अचानक पुलिस की सरकारी गाडी को देखकर हड़बड़ाता हुआ अपनी मौजूदगी छिपाने की मंशा से अचानक रोड के किनारे खाली पड़त जमीन खेतों–टीलों की तरफ सुनसान एरिया में भागने की हरकत की तो उसे घेरा डालकर पूछताछ की गई, तब उसने अपना नाम नितेश कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी तेतरा थाना मंडावा जिला झुन्झुनूं होना बतलाया। उक्त शख्स के कब्जे में पाए गए बैग को खोलकर चैक किया गया तो उसमें एक प्लास्टिक थैली में 8 किलो 702 ग्राम व दूसरी थैली में 6 किलो 186 ग्राम कुल 14 किलो 888 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा होना पाया गया। औपचारिकताएं निभाने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 40/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त नितेश कुमार के विरूद्ध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अपराध प्रमाणित मानकर उसके विरूद्ध दिनांक 22.05.2026 को आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका के विरूद्ध अनुसंधान से धारा 8/15, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध प्रमाणित पाए गए थे किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश व साक्ष्य एकत्रित करने हेतु उसके विरूद्ध धारा 193 (9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया था। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 25.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से वह अभिरक्षा में है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका के विरूद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैंः–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	धारा	पुलिस थाना	विशेष विवरण
1	86/2011	452, 341, 323, 325 भा.द.सं.	बिसाउ झुन्झुनूं	दोषमुक्त

2	128/2024	8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट	निकुम्ब चित्तौड़गढ़	अन्वेषणाधीन
3	129/2024	8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	निकुम्ब चित्तौड़गढ़	अन्वेषणाधीन
4	558/2024	8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	भादरा हनुमानगढ़	विचाराधीन

7. इस प्रकार तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त नितेश कुमार से 14 किलो 888 ग्राम माद पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया था, जो कि उसने प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका से प्राप्त किया था। प्रार्थी/अभियुक्त नितेश कुमार का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त नितेश कुमार के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं था तथा उसके विरूद्ध अन्वेषण उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था जबकि प्रार्थी / अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका के विरूद्ध उपरोक्तानुसार चार आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है जिनमें भी तीन प्रकरण मादक पदार्थों से सम्बन्धित होकर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने का आदतन अपराधी होना प्रकट होता है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में टीम गठित की जाकर तलाशी के भरसक प्रयास किए गए थे किन्तु उसकी तलाशी नहीं होने पर उसके सम्बन्ध में सूचना देने या उसे दस्तयाब करवाने के सम्बन्ध में ईनाम राशि की घोषणा करवाने बाबत् पुलिस अधीक्षक, सीकर को पत्र लिखा गया था। इस प्रकार प्रार्थी / अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका का मामला सह अभियुक्त नितेश कुमार से भिन्न प्रकृति का होना प्रकट होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों , परिस्थितियों, बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा व प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के आपराधिक अभिलेख को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र वर्मा उर्फ काका पुत्र चिरंजीलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर जिला सीकर (राज.)

9. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर जिला सीकर (राज.)

HARIRAM
Steno Gr. I "Authenticate document"
Digitally signed by HARIRAM
Date: 2026.06.04 13:15:27 +0530

''प्रामाणिक दस्तावेज''